

आदेश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 337/2024 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)

हीरो हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, पता : 09, कम्यूनिटी सेन्टर, बसन्त लोक, बसन्त विहार, नई दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री बाल किशन,
पता :- प्लेट नं. जी-1, भूतल, सृष्टि अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 465, स्कीम स्वर्ण विहार, मुहाना मण्डी के पास, ग्राम हाज्यावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर,
प्लेट नं. 101, भूतल, कृतिका अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 464, स्वर्ण विहार कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर
एवं बी. के. ट्रेडर्स, दुकान नं. ए-36, श्री चारभुजा आलू भण्डार, टर्मिनल मार्केट, मुहाना मण्डी, जयपुर।
2. सरिता पुत्री श्री सुभाष चंद,
पता :- प्लेट नं. जी-1, भूतल, सृष्टि अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 465, स्कीम स्वर्ण विहार, मुहाना मण्डी के पास,
ग्राम हाज्यावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर
एवं प्लेट नं. 101, भूतल, कृतिका अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 464, स्वर्ण विहार कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर।
3. श्री राम किशन कुशवाहा,
पता :- प्लेट नं. जी-1, भूतल, सृष्टि अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 465, स्कीम स्वर्ण विहार, मुहाना मण्डी के पास,
ग्राम हाज्यावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर
एवं प्लेट नं. 101, भूतल, कृतिका अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 464, स्वर्ण विहार कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर।
4. श्री किशन कुशवाहा,
पता :- आर. के. ट्रेडर्स, दुकान नं. ए-36, श्री चारभुजा आलू भण्डार, टर्मिनल मार्केट, मुहाना मण्डी, जयपुर।



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act. 2002.

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक : 26.09.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.07.2023 को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री रामकिशन कुशवाहा एवं श्री बाल किशन के स्वामित्व की सम्पति प्लॉट नं. 465, सृष्टि एनक्लेव, स्कीम स्वर्ण विहार, मुहाना मण्डी के पास, ग्राम हाज्यावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर के भूतल पर स्थित प्लेट नं. जी-1, क्षेत्रफल 675 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 16,12,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.06.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर




Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 16,12,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 17,36,500/- रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 25.06.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री रामकिशन कुशवाह एवं श्री बाल किशन के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. 465, सृष्टि एनक्लेव, स्कीम स्वर्ण विहार, मुहाना मण्डी के पास, ग्राम हाज्यावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर के भूतल पर स्थित प्लेट नं. जी-1, क्षेत्रफल 675 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्व कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 26.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।




(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर